न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 692 / 2024

अनवान : –

1. कृष्णा देवी पुत्री लालचन्द पत्नी वेदप्रकाश जाति स्वामी निवासी झोझू कला तहसील व जिला दादरी (हरियाणा)।

–**वादीया**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः–06/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 111 / 107 की कुल 5.819 हैक्ट भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादीया का नाम कृष्णा देवी पुत्री लालचन्द जाति स्वामी निवासी फेफाना दर्ज है जबकि मुताबिक पहचान दस्तावेजात वादीया का सही एवं वास्तविक नाम कृष्णा देवी पत्नी वेदप्रकाश निवासी झोझू कला तहसील व जिला दादरी है। उक्त भूमि वादीया को पैतृक रूप से प्राप्त हुई है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादीया के पिता का नाम दर्ज हुआ है। इसलिए वादीया अपना नाम कृष्णा देवी पुत्री लालचन्द के स्थान पर कृष्णा देवी पुत्री लालचन्द पत्नी वेदप्रकाश व पता फेफाना के स्थान पर झोझू कला तहसील व जिला दादरी दुरूस्त करवाना चाहती है। राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम व पता सही नही होने के कारण वादीया के खातेदारी हको का हनन हो रहा है। इसलिए वादीया मुताबिक दस्तावेजा अपना नाम दुरूस्त करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादीया का सही नाम व पता राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि में वादीया का नाम कृष्णा देवी पुत्री लालचन्द जाति स्वामी निवासी फेफाना दर्ज है जबकि मुताबिक पहचान दस्तावेजात वादीया का सही एवं वास्तविक नाम कृष्णा देवी पत्नी वेदप्रकाश निवासी झोझू कला तहसील व जिला दादरी है। उक्त भूमि वादीया को पैतृक रूप से प्राप्त हुई है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादीया के पिता का नाम दर्ज हुआ है। इसलिए वादीया अपना नाम कृष्णा देवी पुत्री लालचन्द के स्थान पर कृष्णा देवी पुत्री लालचन्द पत्नी वेदप्रकाश व पता फेफाना के स्थान पर झोझू कला तहसील व जिला दादरी दुरूस्त करवाना चाहती है। वादीया का वाद स्वीकार फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:54:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 111/107 की कुल 5.819 हैक्ट भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में वादीया का नाम कृष्णा देवी पुत्री लालचन्द व पता फेफाना के स्थान पर कृष्णा देवी पुत्री लालचन्द पत्नी वेदप्रकाश व पता झोझू कला तहसील व जिला दादरी दर्ज करवाना चाहती है जो की वादीया के समस्त दस्तावेजात में दर्ज है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 111/107 की कुल 5.819 हैक्ट भूमि में वादीया का नाम व पता कृष्णा देवी पुत्री लालचन्द जाति ब्राहमण निवासी फेफाना के स्थान पर कृष्णा देवी पुत्री लालचन्द पत्नी वेदप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी झोझू कला तहसील व जिला दादरी के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच कृष्णा देवी पुत्री लालचन्द निवासी फेफाना के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम कृष्णा देवी पुत्री लालचन्द निवासी फेफाना ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/11/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:54:46 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 692 / 2024

अनवान : –

1. कृष्णा देवी पुत्री लालचन्द पत्नी वेदप्रकाश जाति स्वामी निवासी झ़ोझू कला तहसील व जिला दादरी (हरियाणा)।

–वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 692 सन 2024 निर्णय दिनांक – 06/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 111 / 107 की कुल 5.819 हैक्ट भूमि में वादीया का नाम व पता **कृष्णा देवी पुत्री लालचन्द जाति ब्राहमण निवासी फेफाना के स्थान पर कृष्णा देवी पुत्री लालचन्द पत्नी वेदप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी झोझू कला तहसील व जिला दादरी** के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच कृष्णा देवी पुत्री लालचन्द निवासी फेफाना के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम कृष्णा देवी पुत्री लालचन्द निवासी फेफाना ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 06/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:54:46 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर